रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागज पत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(किरेन रीजीजू)
गृह राज्य मंत्री

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

(KIREN RIJIJU)
MINISTER OF STATE (HOME)

सं. 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/PAUSA 18, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2015 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 में,–

   (i) नियम 58 के, उप–नियम (1) में, परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

   "परंतु यह कि बल सदस्य जो दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पूर्व राज्य या केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण से भिन्न संगठनों में पद ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र जिसके लिए काडर निर्बाधन दिए गए हैं, देता है से उसके त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व बल में उसको दी गई प्रशिक्षण की लागत लौटाने की या तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, वापस करने की अपेक्षा की जाएगी ।

   (ii) परिशिष्ट "क" में करार के प्रारूप के संबंध में, मद संख्या (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा अर्थात् :–

   (iii) बल में कार्य ग्रहण करने की तारीख से दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पहले, राज्य या केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण के अधीन किसी संगठन में कार्य को स्वीकार करने से भिन्न कारण से, जिसके लिए संवर्ग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, बल से अपना त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने की दशा में बल में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की संपूर्ण लागत अथवा तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य रकम का, इस में से जो भी अधिक हो, प्रतिसंदाय करूंगा ।"

[सं. ई–32012/(ii)/2014/एलएंडआर/कार्मिक -I]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक–1)